सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ—226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 01 / सो.आ.नि.—312 / 2014

दिनाँकः 02 अप्रैल, 2014

प्रेषक,

निदेशक,

सोशल आडिट,

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / जिला कार्यक्रम समन्वयक,

उत्तर प्रदेश।

विषयः **किसी ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर को जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने पर नियत यात्रा व्यय का भुगतान।**

महोदय,

जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों तथा ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों के पदों को भरे जाने विषयक इस निदेशालय के परिपत्र संख्या 122 / सो.आ.नि.—318 / 2013 दिनांक 09—7—2013 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि किसी ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर को दोहरा प्रभार देने की स्थिति में अतिरिक्त प्रभार के लिए रू0 2000 / — नियत यात्रा व्यय अलग से अनुमन्य किया जाएगा। निदेशालय से इस आशय का मार्गदर्शन चाहा गया है कि ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर को यदि जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के पद का अतिरिक्त दायित्व सौंपा जाता है तो क्या उसे रू0 3000 / — नियत यात्रा व्यय अलग से देय होगा?

मामले में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर को जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के पद का अतिरिक्त दायित्व सौंपा जाता है तो उसे रू0 3000 / — नियत यात्रा व्यय अलग से देय होगा।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शंकर सिंह)

निदेशक।

प्रतिलिपि :—

1— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2— समस्त जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(शंकर सिंह)

निदेशक।

Rks/Gen.letter/Desktop